न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 19/2021

नवीन चौधरी पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

01. सत्यनारायण पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल
02. प्रद्युमनसिंह पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल
03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)
वकील वादी : श्री मनोज कुमार आर्य
वकील प्रतिवादी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
दायरा दिनांक: 25.01.2021

निर्णय दिनांक : 11.11.2021

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल का स्थायी निवासी है। जिनकी पैतृक पारिवारिक कृषि भूमि खसरा नं0 295/539 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 82 रकबा 5.05 है0, खसरा नं0 83 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 84 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.53 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.14 है0 वाके ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल में दर्ज रिकोर्ड है जो प्रतिवादी कम 1 के बतौर खाता संख्या 261 जमाबंदी सम्वत 2076–2079 में दर्ज रिकोर्ड है। ग्राम ईश्वरपुरा में दर्ज खसरा नं0 295/539 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 82 रकबा 5.05 है0, खसरा नं0 83 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 84 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.53 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.14 है0 में हिस्सा 1/3 पर वादी निरंतर काबिज काश्त है जिसे विवादित आराजी लिखा गया है। वादी व प्रतिवादी कम 2 प्रतिवादी कम 1 की जायज संतान है। विवादित आराजीया वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है। जो प्रतिवादी कम 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी व पैतृक आराजीयात व पैतृक सम्पत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का जन्म से ही अधिकार निहत है इसलिए विवादित आराजी में वादी का जन्म से ही अधिकार निहित होने से वादी अपने हिस्से की आराजी पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का कानूनन अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायायल व उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार निरंतर 12 वर्षो से काबिज काश्त होने से विवादित आराजी को स्वयं के नाम दर्ज करवाने व स्वयं खातेदार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादी कम 1 अपने नाम खातेदारी दर्ज होने से विवादित आराजी को खूर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा रहन बैचान भी कर सकता है। विवादित आराजी में हिस्सा 1/3 पर प्रतिवादी कम 1 व 2 कर्तापिलाई व धौरे रास्ते को लेकर अनावश्यक विवाद करते है तथा आराजी को रहन बेचान करने व बेदखल करने की धमकी देते है। इसलिए प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधांज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी कम 3 को भू-धारक होने से वाद का आवश्यक पक्षकार बनाया गया है

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बाराँ (राज0)

Scanned by CamScanner

जिसके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही गयी है। यह कि वाद कारण दिनांक 28.12.2020 को प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा वादीगण से कब्जा काश्त की विवादित आराजी को धौरा व रास्ते को लेकर विवाद करने के कारण ग्राम ईश्वरपुरा में उत्पन्न हुआ।

अतः विवादित खाता संख्या 261 खसरा नं0 295/539 रकबा 2.84 है0 खसरा नं0 82 रकबा 5.05 है0, खसरा नं0 83 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 84 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 85 रकबा 1.53 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.14 है0 वाके ग्राम ईश्वरपुरा में वादी को हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी कम 3 को आदेश दिया जावें एवं प्रतिवादी गण जर्ये स्थायी निषेधांज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 25.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण 1ता3 स्वयं लोक अदालत केम्प प्रशासन गांव के संग ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा में स्वयं उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण 1ता3 ने प्रस्तुत कर वाके ग्राम ईश्वरपुरा में प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा ईकबाली जवाबदावा पेश किया । प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा अपने ईकबाली जवाब दावे में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने में सहमति जाहिर की। साक्ष्य में स्वयं वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के बयान लिये गये। अपने बयानों में 1/3 1/3 का खातेदार घोषित किये जाने पर कोई आपत्ती जाहिर नही की।अतः आराजी खाता संख्या 261 खसरा नं0 295/539 रकबा 2.84 है0 खसरा नं0 82 रकबा 5.05 है0, खसरा नं0 83 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 84 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 85 रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम ईश्वरपुरा वाद ग्रस्त आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 10.14 है0 में वादी व प्रतिवादीगण को 1/3 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 को स्थायी निषेधांज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे।

अतः पत्रावली का अवलोकन लोकअदालत राजीनामा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन संलग्न दस्तावेजों के आधार पर एवं वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रस्तुत वाद खाता संख्या 261 खसरा नं0 295/539 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 82 रकबा 5.05 है0, खसरा नं0 83 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 84 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.53 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.14 है0 वाके ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां से वादी नवीन चौधरी का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादीगण सत्यनारायण व प्रद्युमनसिंह का 1/3, 1/3 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प ईश्वरपुरा में मजमेआम सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

([illegible]सिंह गुर्जर [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner